

न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्या:-208/2023(जीसीएमएस नम्बर 2023/463)

1. झण्डूसिंह पुत्र चन्दनसिंह, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम श्यालूता तहसील टहला जिला अलवर राज0।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. भू आवंटन सलाहकार समिति राजगढ जयें अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर।
2. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार टहला जिला अलवर राज0।

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थिति:-

1. श्री देवेन्द्र जैन, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 05.08.2024

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.03.2023 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) के द्वारा एक अधिसूचना दिनांक 18.08.2021 को प्रसारित की गई कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 260 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार भू आवंटन नियम 1970 के अंतर्गत जिला कलेक्टर पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियों के तहत राज्य के समस्त जिलों में कार्यरत समस्त भारतीय प्रशासनिक सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया है तथा भूमि आवंटन करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा राजस्थान सरकार के द्वारा जारी उक्त अधिसूचना के अनुसरण में भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि आवंटन करने हेतु आगे की कार्यवाही उपखंड अधिकारी राजगढ के द्वारा अमल में लाई गई तथा नियमानुसार प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 तहत आयोजित किए जाने वाले ग्राम शिविरों की सूची नियमानुसार विधायक महोदय, क्षेत्रीय वन अधिकारी, जिला वन अधिकारी, तहसीलदार, ब्लॉक विकास अधिकारी, पंचायत समिति प्रधान एवं संबंधित ग्राम पंचायत सरपंच को सूचना प्रेषित की गई तथा आवंटित की जाने वाली भूमि की सूची संबंधित पटवारी, पटवार हल्का के द्वारा तैयार की गई तथा जरिए नोटिस कर सूचना पट्ट पर चस्पा कर, व्हाट्सएप के जरिए आवंटन हेतु जनहित की जानकारी में लाया गया, क्षेत्रीय वन अधिकारी, जिला वन अधिकारी को आवंटन के संदर्भ में उपखंड अधिकारी राजगढ शिविर प्रभारी के द्वारा सूचित किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि ग्राम पंचायत स्तर पर अधिसूचना दिनांक 18.08.2021 के अनुसरण में शिविर आयोजित किए गए। शिविर में उपस्थित रहने हेतु संबंधित अधिकारियों को एवं जनप्रतिनिधियों को सूचित किया गया, सूचना के मुताबिक शिविर में जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित आए। भूमि

आवंटन शिविर में अपीलार्थी के द्वारा खसरा नम्बर 2042 रकबा 19.18 है० किस्म बंजड में से 1.25 है० ग्राम श्यालूता तहसील टहला जिला अलवर से कृषि कार्य हेतु भूमि आवंटन करने का आवेदन प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी के आवेदन पर आवंटन सलाहकार समिति ने अपीलार्थी के पक्ष में आवंटन करने की सिफारिश की एव आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के पश्चात् उपखंड अधिकारी राजगढ़ शिविर प्रभारी के द्वारा दिनांक 04.03.2022 को आवंटन पत्र क्रमांक: एल. आर/आवंटन/2021-22/6929 राजकीय पड़त भूमि का आवंटन आदेश जारी किया गया जिसमें अपीलार्थी के पक्ष में खसरा नम्बर 2042 रकबा 19.18 है० किस्म बंजड में से 1.25 है० ग्राम श्यालूता तहसील टहला जिला अलवर में भूमि कृषि कार्य हेतु आवंटित की गई।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि आवंटन के पश्चात् अपीलार्थी को कार्यालय जिला कलेक्टर अलवर से एक नोटिस दिनांक 03.02.2023 को प्रेषित किया गया जिसके अंतर्गत 10 दिवस में जिला कलेक्टर अलवर के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु समय निर्धारित किया गया तथा नोटिस के साथ सूची प्रेषित की गई कि आवंटन के संदर्भ में उपखंड अधिकारी राजगढ़ शिविर प्रभारी के द्वारा निम्न अनियमितताएं की गई हैं। अपीलार्थी के द्वारा नोटिस दिनांक 03.02.2023 का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी को आवंटित खसरा नंबर की कृषि भूमि 50-60 वर्षों से अपीलार्थी के कब्जे में है जिस पर अपीलार्थी द्वारा लगातार फसल काशत की जा रही है। इसमें रबि एवं खरीफ की फसल बोई जा रही है, जिसकी रिपोर्ट पटवारी के द्वारा प्रत्येक वर्ष की जाती रही है किन्तु अपीलार्थी के तथ्यों पर बिना गौर किये ही एवं अपीलार्थी को पक्ष रखने हेतु अधिवक्ता के जरिये उपस्थित होने का अधिकार नहीं देकर एवं न्यायिक प्रक्रिया एवं विधि के प्रावधानों की बिना पालना किये ही अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी निर्णय दिनांक 22.03.2023 के द्वारा उपखंड अधिकारी राजगढ़ पारित आवंटन आदेश दिनांक 04.03.2022 को अपास्त कर दिया गया जो आदेश विधि विरुद्ध एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि अपीलार्थी को दिनांक 03.02.2023 को जिला कलेक्टर कार्यालय से नोटिस जारी किए गए हैं जबकि अपीलार्थी निर्णय दिनांक 22.03.2023 अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय) अलवर के द्वारा न्यायालय की हैसियत से पारित किया गया है, जो विधिक त्रुटि में आता है एवं नियम विरुद्ध है। उन्होंने आगे कथन किया है कि अपीलार्थी आवंटित भूमि पर लम्बे अरसे से लगभग 50-60 वर्षों से काबिज काशत है एवं भूमि पर निरन्तर खेती की जा रही है, अपीलान्त का परिवार बहुत ही गरीब है, कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है इसलिये सिर्फ खेती पर ही निर्भर है तथा अपीलार्थी ने किसी भी तरह का कोई छल कपट नहीं किया है और ना ही भू आवंटन की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया, आवंटित भूमि सरिस्का वन क्षेत्र की पेरीफेरी में नहीं आती है, वन विभाग का इन खसरा नम्बर से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है, अपीलार्थी का प्रकरण नियमितीकरण की श्रेणी में आता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही एवं वास्तविकता की बिना कोई जांच किये ही केवल शिकायत के आधार पर फौरी तौर पर की गई जांच को आधार मानकर आवंटन आदेश को अपास्त किया गया जो निर्णय विधि विरुद्ध एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि अपीलार्थी को आवंटित की गई भूमि कृषि भूमि धारा 16 राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 में उल्लेखित प्रतिबंधित श्रेणी में नहीं आती है तथा अब्दुल रहमान बनाम सरकार द्वारा पारित

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय से बाधित नहीं है बल्कि अपीलान्ट का प्रकरण नियमन की श्रेणी में आता है जो राजस्थान सरकार द्वारा लम्बे अरसे से चले आ रहे कब्जे के आधार पर भू आवंटन नियम 1970 के तहत एवं राजस्थान सरकार के द्वारा जारी परिपत्रों एवं नियमों के अनुसरण में विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर भूमि का अपीलार्थी के पक्ष में नियमन किया जाकर आवंटन पत्र जारी किया गया है जो विधि सम्मत है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के वास्तविक तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.03.2023 पारित किया गया है जो निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.03.2023 को अपास्त किया जावे एवं उपखण्ड अधिकारी राजगढ का आवंटन आदेश दिनांक 04.03.2022 को बहाल किया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट ने कथन किया है कि प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के दौरान राजगढ उपखण्ड के तहत राजगढ/टहला में किये गये भूमि आवंटन के प्रकरणों की जांच किये जाने हेतु जिला कलक्टर अलवर के आदेश दिनांक 01.11.2022 के द्वारा एक जिला स्तरीय जांच दल का गठन किया गया है तथा प्रदत्त निर्देशों की पालना में प्रभारी जांच कमेटी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर ने विस्तृत जांच की जाकर जांच रिपोर्ट में आवंटन में अनियमितता होने के कारण निरस्त किये जाने की अभिशंषा की गई है। पत्रावली में सुसंगत दस्तावेज व साबिक राजस्व रिकार्ड संलग्न नहीं होने से अब्दुल रहमान, अरावली नोटिफिकेशन 1992 व प्रतिबंधित श्रेणी भूमि के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, गांव के शिक्षण संस्थान के लिए पर्याप्त भूमि व पाठशाला के लिए खेल मैदान तथा अन्य किसी भी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ पर्याप्त भूमि छोड़ने की सुनिश्चितता का साक्ष्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विस्तृत जांच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.03.2023 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नहीं की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.03.2023 में निम्न तथ्यों व रिपोर्ट का अंकन किया गया है कि मुताबिक जांच रिपोर्ट आवंटित भूमि में आवंटी की पात्रता के निर्धारण हेतु नियत मापदंडों की पालना नहीं की गई है। आवेदन पत्र पंजीकरण पंजिका (प्रारूप-4) में संधारित है या नहीं, से सम्बन्धित कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उद्धोषणा जारी होने के पश्चात तामील/चस्पानगी के सम्बन्ध में तहसीलदार की पालना रिपोर्ट संलग्न नहीं है। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक की सूचना की तामील कब हुई, इस सम्बन्ध में पत्रावली में तारीख का अंकन नहीं है, ना ही तामील कुलिन्दा की रिपोर्ट अंकित है। पटवारी हल्का की मौका जांच रिपोर्ट संलग्न नहीं है, एवं वन विभाग, खनिज विभाग की अनापत्ति भी संलग्न नहीं है, साथ ही आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर दिनांक का अंकन नहीं किया गया है और बैठक कार्यवाही विवरण पर हस्ताक्षर भी नहीं है। हाल रिकार्ड व साबिक रिकार्ड शामिल पत्रावली नहीं होने से अब्दुल रहमान अरावली नोटिफिकेशन 1992 की जांच नहीं हो सकती है। प्रकरण में प्रभारी जांच कमेटी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर ने अपनी जांच रिपोर्ट में आवंटन आदेश शिविरों/फोलोअप कैम्पों में नहीं किया जाना बतलाया गया है, एवं राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों व राजकीय भूमि के आवंटन नियम 1970 के अनुसार आदेश उसी ग्राम में या विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार की अनुमति से ग्राम पंचायत मुख्यालय पर किये जाने चाहिए, जो नहीं किये गये हैं। पीठासीन अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों

पर प्राप्ति का समय व दिनांक अंकित नहीं है। पीठासीन अधिकारी द्वारा आंवटन सलाहकार समिति की बैठक हेतु नोटिस देते हुए एक सप्ताह का नोटिस जारी किया गया हो, व नोटिस की विधिवत तामील हुई हो, इस बाबत कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार पीठासीन अधिकारी द्वारा आंवटन करते समय आंवटन की शर्तों की पालना नहीं कर आराजी का आंवटन किया गया है। उक्त आंवटन के सम्बन्ध में आंतरिक लेखा जांच दल (आय) द्वारा भी उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के राजस्व लेखों की निरीक्षण अवधि 05/2022 के अनुच्छेद संख्या 6 राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम 1970 के अन्तर्गत आंवटन किये जाने पर राजस्व हानि एवं अनियमितताओं का आक्षेप अंकित किया गया है तथा आंवटन नियमों की शर्तों की पूर्ण पालना ना होने के कारण आंवटन खारिज किये जाने हेतु अभिशंषा भी की गई है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.03.2023 पारित किया गया है।


हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी। बहस पर मनन एवं पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.03.2023 में अंकित तथ्यों एवं आक्षेपों के प्रतिकूल एवं अपने कथनों के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य, सबूत या दस्तावेजात इत्यादि न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम 1970 के अन्तर्गत अपीलार्थी की उक्त आंवटन हेतु पात्रता सिद्ध होती हो या आंवटन नियमों हेतु निर्धारित प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के अनुरूप आंवटन हुआ हो। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.03.2023 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.03.2023 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.03.2023 को यथावत रखा जाता है।


(डॉ० प्रवीण कुमार)

अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।